



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 997]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 5, 2019/फाल्गुन 14, 1940

No. 997]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 5, 2019/PHALGUNA 14, 1940

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 मार्च, 2019

का.आ. 1131(अ).—केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 56 की उपधारा (2) के खंड (viiख) के परंतुके खंड (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग के केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2088(अ), तारीख 24 मई, 2018 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया था या किए जाने का लोप किया गया था, यह अधिसूचित करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 56 की उप-धारा (2) के खंड (viiख) के उपबंध किसी कंपनी द्वारा शेयरों के निर्गमन के लिए प्राप्त ऐसे प्रतिफल को लागू नहीं होंगे, जो ऐसे शेयरों के अंकित मूल्य से अधिक हैं, यदि ऐसी कंपनी द्वारा, जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा जारी और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में तारीख 19 फरवरी, 2019 को प्रकाशित अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 127(अ), तारीख 19 फरवरी, 2019 के पैरा 4 में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करती है और जिसमें औद्योगिक और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग की उक्त अधिसूचना के पैरा 5 में निर्दिष्ट घोषणा फाइल की है, उक्त प्रतिफल किसी ऐसे व्यक्ति से प्राप्त किया गया है, जो निवासी है।

2. यह अधिसूचना भूतलक्षी रूप से 19 फरवरी, 2019 से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[अधिसूचना सं. 13/2019/फा. सं. 370142/5/2018-टीपीएल(भाग)]

प्रवीण रावल, निदेशक (कर नीति और विधायन)

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th March, 2019

S.O. 1131(E).—In exercise of the powers conferred by clause (ii) of the proviso to clause (viib) of sub-section (2) of section 56 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and in supersession of the notification of Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Direct Taxes published in the Gazettee of India, Extraordinary, Part-II, Section (3), Sub-section (ii) *vide* number S.O. 2088(E) dated 24th May, 2018, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, hereby notifies that the provisions of clause (viib) of sub-section (2) of section 56 of the said Act shall not apply to consideration received by a company for issue of shares that exceeds the face value of such shares, if the said consideration has been received from a person, being a resident, by a company which fulfils the conditions specified in para 4 of the notification number G.S.R. 127(E), dated the 19th February, 2019 issued by the Ministry of Commerce and Industry in the Department for Promotion of Industry and Internal Trade and published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, section 3, Sub-Section (i) on 19th February, 2019 and files the declaration referred to in para 5 of the said notification of the Department for Promotion of Industry and Internal Trade.

2. This notification shall be deemed to have come into force retrospectively from the 19th February, 2019.

[Notification No. 13/2019/F. No. 370142/5/2018-TPL (Pt.)]

PRAVIN RAWAL, Director (Tax Policy and Legislation)